भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 918

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

सड़क अवसंरचना और सुरक्षा संबंधी समस्याएं

918. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़क अवसंरचना में सुरक्षा संबंधी खामियों, जिनमें घटिया क्रैश बैरियर, अधिक ऊँचाई वाले मीडियन और ऊंचे कैरिजवे शामिल हैं, पर गंभीर कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिन्हित 13,795 दुर्घटना-प्रवण ब्लैक स्पॉट में से अब तक केवल 5,036 को ही सुधारा गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक शेष ब्लैक स्पॉट की स्थिति क्या है और सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग निर्माण की समीक्षा हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सड़क उन्नयन परियोजनाओं में भारत-केन्द्रित दुर्घटना आंकड़ा और पैदल यात्री सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क निर्माण के सभी कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशानिर्देशों, नियमावली, कार्य प्रणाली संहिता तथा सड़क एवं पुल निर्माण संबंधी विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, प्रारंभन-पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) ब्लैक स्पॉट्स का सुधार एक सतत प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर चिन्हित कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट्स में से 11,866 ब्लैक स्पॉट्स पर अल्पकालिक सुधार कार्य पूरा हो चुका है। सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टों द्वारा अनुशंसित दीर्घकालिक सुधार उपाय केवल आवश्यक समझे जाने वाले स्थानों पर ही लागू किए जाते हैं। तदनुसार, 5,324 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक उपाय पूरे हो चुके हैं, जबकि 3,719 ब्लैक स्पॉट्स का मूल्यांकन ऐसे दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता न होने वाले के रूप में किया गया है।

दीर्घकालिक सुधार कार्यों में सड़क की ज्यामितीय संरचना में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि शामिल हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण जैसी निर्माण-पूर्व गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें काफी समय लगता है।

(घ) डिज़ाइन चरण में सड़क सुरक्षा ऑडिट के बाद आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना-विशिष्ट दुर्घटना आँकड़े (क्रैश डाटा) और पैदल यात्री सुरक्षा उपाय परियोजना में शामिल किए जाएँ।

*****